दिनांक 15.3.2012 को आयोजित भोपाल कार्यशाला में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी का भाषण

मैं आपके द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय निगम यानि एनएचएफडीसी की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था को लागू करने के बारे में विचार करेंगे.

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को अपनी शारीरिक व मानसिक दशा तथा सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की वजह से दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. विकलांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने तथा उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है.

भारत सरकार एनएचएफडीसी के जरिए विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करती है. एनएचएफडीसी अपनी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण के लिए भी शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है. निगम की योजनाओं के तहत विकलांग महिलाओं के लिए 3.5% वार्षिक की दर से ऋण प्रदान किया जाता है,जो न्यूनतम है. विकलांगों के लिए 5 लाख से 25 लाख रूपये के ऋण पर ब्याज की दर 8% वार्षिक है.

भारत सरकार के प्रयासों की सफलता काफी हद तक राज्य सरकार के दृष्टिकोण एवं सक्रिय पहल पर निर्भर है,इसलिए राज्य निगम से वित्तपोषण मानदंडों के तहत अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए सुझावों की उम्मीद की जाती है. मध्य प्रदेश राज्य में सरकार के समर्थन व एससीए के सक्रिय दृष्टिकोण की वजह से विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की अपार क्षमता है.

चालू वित्त वर्ष के दौरान हमारे निगम ने मध्य प्रदेश को चार करोड रूपये आबंटित किये. इसका यह अर्थ निकलता है कि एक वर्ष में 800 विकलांग व्यक्तियों को कवर करना है. मध्य प्रदेश के चारों निगमों से कोई भी प्रस्ताव /अनुरोध नहीं भेजे गए हैं. चारों निगमों की कुछ समस्याएं हैं जिनको राज्य सरकार व निगमों को सुलझाना है जैसे शासकीय गारंटी व पुनर्भुगतान इत्यादि. मेरा सुझाव है कि निगमों को दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विकलांग व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें रियायती ऋण प्रदान करने के प्रयास करने चाहिएं. आप विभिन्न वोकेशनल ट्रेड्स में युवा विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाने के प्रयास भी कर सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर वोकेशनल रीहैबिलिटेशन सेंटर(वीआरसी) जबलपुर को विशेषतया: विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए बनाया गया है. रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वूमन(RVTI) इंदौर - जो महिलाओं के लिए काम करता है को आपस में टाइ अप करके विकलांग महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है. दोनों संस्थान भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं. दोनों संस्थान महिलाओं व विकलांगों को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं. वीआरसी व आरवीटीआई का टाई अप केवल ट्रेनिंग को ही सुविधाजनक नहीं बनाता यह आपके निगम द्वारा संचालित हमारी योजनाओं की क्वालिटी लोनिंग को भी बढाता है, क्योंकि दक्षता प्रशिक्षण के उपरान्त विकलांग व्यक्ति अच्छे उद्यमी बनेंगे तथा वे अच्छे स्वरोजगार उद्यम के लिए व्यवहार्य परियोजना की शुरुआत करेंगे. एनएचएफडीसी प्रति माह हर विकलांग प्रशिक्षु को 1,000/- रूपये छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है. इस प्रकार आपका एक कदम प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तिओं को ऋण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है.

इसके अलावा हम आपके राज्य में भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(RRBs) को रीफाइनैंस करते हुए विकलांग व्यक्तिओं को रियायती ऋण प्रदान करने की सम्भावना पर विचार कर सकते हैं. इस नई सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत एनएचएफडीसी हमारी कार्यान्वयन संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राज्य सरकार की गारंटी लेने पर जोर नहीं देगा. इसके साथ-साथ आरआरबी भी लाभार्थी से कोलेटरल गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम में इसकी जरुरत ही नहीं है. इस योजना के ब्यौरे व रुपरेखा के बारे में भी इस बैठक में चर्चा

की जाएगी. मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएफडीसी पहले से ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौते कर चुका है. इससे इन राज्यों में हमारे राज्य निगमों के लिए सम्पूर्ण समन्वयन के अतिरिक्त चैनल खुले हैं.

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार एनएचएफडीसी के जरिए दो छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है. इन योजनाओं के तहत कुल 1500 छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं,जिनका विज्ञापन प्रतिवर्ष जुलाई में जारी किया जाता है. इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों, व्यवसायिक व प्रशिक्षण संस्थानों को इन योजनाओं के प्रति सम्वेदनशील व जागरूक बनाएँ. मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ये योजनाएं विकलांग विद्यार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 60,000/- रुपये मुहैय्या कराती हैं.

इसके अतिरिक्त लैपटॉप के साथ दृष्टी विकलांग व श्रवण बाधित विद्यार्थी को एक बार के लिए सहायक उपकरण हेतु भी सहायता दी जाती है. इसके अलावा हमारी शैक्षिक ऋण योजना विकलांग छात्राओं को 3.5 प्रतिशत वार्षिक तथा विकलांग छात्र को 4 प्रतिशत की आकर्षक दर पर ऋण उपलब्ध कराती है. हमने इस बारे में सभी राज्यों/संघ शासित के मुख्य सचिवों को पत्र भी प्रेषित किया है.

मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि इन चार क्षेत्रों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित करें :-

1. मध्य प्रदेश के चारों निगम प्रतिवर्ष न्यूनतम एक हज़ार विकलांग व्यक्तियों को पाँच करोड रूपये तक ऋण उपलब्ध कराएंगे.

2. निगम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिल कर विकलांग व्यक्तियों तक पहुँच बनाने के विशेष प्रयास करेंगे. विशेष प्रयास के तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण की हर शाखा 10 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करेगी. इस प्रकार हर साल 10,000 विकलांग व्यक्तियों को ऋण सहायता पंहुचाई जा सकेगी.

3. निगमों को रियायती ऋण को प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ना होगा क्योंकि प्रशिक्षित विकलांग समय के साथ उद्यमी बन कर व्यवहार्य परियोजना शुरू करने में सक्षम होते हैं.

4. भारत सरकार की दूसरी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति योजना, शैक्षिक ऋण योजना एवं दक्षता प्रशिक्षण आदि का भी पूर्ण उपयोग राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए होना चाहिए.

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यशाला की सफलता की कामना करता हूँ. मुझे उम्मीद है कि आज के दिन लिए गए निर्णयों से विकलांगों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी.

जय हिंद !